फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भैरूसिंह पिता श्री विजय सिंह नि. सरस का गुड़ा, तहसील गढबोर–ग्रा.पं. उपडाकघर वाया केलवा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ **– प्रत्यर्थी**

केस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 67/2022**

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 14.11.2022

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा जरिये पत्रांकः /सू.का.अधि.05/2022/2981 दिनांक 10.10.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 17.08.2022 को रसीदन उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों के तहत न्यायालय के प्रकरणों की सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं होने का उल्लेख किया है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। न्यायालय के प्रकरणों की सूचना प्रतिलिपि प्राप्त करने वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के अंतर्गत उक्त सूचना नहीं दी जा सकती है। न्यायालय की सूचना "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा (1)(जे) के तहत देय नहीं होने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुंभलगढ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद